न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ....मानिहाल सिंह........ बनाम ....कुलविन्द्र सिंह........

प्रकरण संख्या ....114........./22 अन्तर्गत धारा........53........

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर ... जो इस ... पालना ...
२४/01/२३	वादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव TDR KPR से प्राप्त हुआ। शामिल मिसल किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक ३०/०१/२३ को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
३०/01/२३	वादी अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र तहसीलदार श्री करणपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार किया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (मुहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते)	
०२/02/२३	वादी अधिवक्ता के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर पेशी में ली गई। निर्णय अनुसार [illegible] डिक्री जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति TDR KPR को पालनार्थ भिजवायी [illegible] हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:32:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 114/2021

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. नोनिहाल सिंह उर्फ निहाल सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. कुलविन्द्र कौर उर्फ गुरप्रीत कौर पुत्री जगवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 एफ एफ। 2. प्रभलीन संधू पुत्री अमरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफ एफ नाबालिग जरिये माता सर्वजीत कौर पत्नी अमरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. लवप्रीत कौर पुत्री अमरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. सर्वजीत कौर पत्नी अमरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 10 एफ एफ। 5. गुरदीप कौर पत्नी रमनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 08.06.2022

उपस्थित: 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादी

--निर्णय-- **दिनांक: 19.10.2022**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 10 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 के खाता संख्या 3 के मु0नं0 25, 38, 45, 62/38 की कुल 6.580 हेक्टैयर नहरी बाग मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से वादी के नाम 4.163 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के घरू बंटवारा कर रखा है। घरू बंटवारा मुताबिक वादी को चक 10 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 7 ता 13 सालम-सालम, किला नम्बर 18 ता 20 सालम-सालम, किला नम्बर 21, 22 प्रत्येक के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 23 के 0.164 हेक्टैयर एंव मुरब्बा नम्बर 62/38 की 0.101 हेक्टैयर गैरमुमकिन खाल कुल 4.163 हेक्टैयर भूमि घरू बंटवारा में प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा अनुसार वादी एंव प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी अपनी सहूलियत के लिए अपने हिस्सा में आई उक्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में किलावाईज विभाजन करवाना चाहते है। मुश्तर्का खाता की आराजी के संबध में विधि के सुस्थापित प्रावधान है कि मुश्तर्का खाता की भूमि का विभाजन करवाए बिना कोई भी हिस्सेदार किसी अजनबी व्यक्ति को भूमि का किलावाईज बेचान नहीं कर सकता और ना ही भूमि का कब्जा दे सकता है। इसलिए वादी अपने नाम दर्ज उक्त खातेदारी भूमि का अपने-अपने हिस्सानुसार [illegible] है। जिसके वादी अधिकारी है। आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उ[illegible] उक्त हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा [illegible], इसलिए वादी को श्रीमान् के न्यायालय में उक्त दावा [illegible] जरूरी हो [illegible] है। यही [illegible] कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, [illegible] पर पेश है।अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया [illegible] घरू बंटवारानामा अनुसार वादी को प्राप्त चक 10 एफ एफ के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 7 ता 13 सालम-सालम, किला नम्बर 18 ता 20 सालम-सालम, किला नम्बर 21, 22 प्रत्येक के 0.228 हेक्टैयर, किला नम्बर 23 के 0.164 हेक्टैयर एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:32:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुरब्बा नम्बर 62/38 की 0.101 हेक्टैयर गैरमुमकिन खाल कुल 4.163 हेक्टैयर भूमि का खाता व लगान वादी के नाम अलग से कायम कर राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्री करणपुर को आदेशित किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हमने बहस वकील वादी सुनी। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस अधिवक्ता वादी के द्वारा निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। वादग्रस्त भूमि में से वादी के नाम 4.163 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 10 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा के खाता संख्या 03/03 के मुरब्बा नम्बर 25, 38, 45, 62/38 की कुल 6.580 हेक्टैयर नहरी बाग मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से वादी के हिस्सा 4.163 हेक्टैयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी नोनिहाल सिंह उर्फ निहाल सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:32:28 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 19.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

नोनिहाल सिंह बनाम कुलविन्द्र कौर आदि

धारा अन्तर्गत **53 आरटीए** मुकदमा नं. **114/2022**

निर्णय दिनांक :- 19.10.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, सुखविन्द्र सिंह सरां** के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 10 एफ एफ, पटवार हल्का बडोपल, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा के खाता संख्या 03/03 के मुरब्बा नम्बर 25, 38, 45, 62/38 की कुल 6.580 हेक्टैयर नहरी बाग मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से वादी के हिस्सा 4.163 हेक्टैयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी नोनिहाल सिंह उर्फ निहाल सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 10 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 19.10.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)**}**

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)**}**

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★ सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra

Date: 2023.06.09 14:32:28 IST

Reason: SelfAttested

क्रमांकः रीडर/ 2022/534 दिनांकः 19.10.2022

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)**}**

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर